संख्या-152/2025/आई/1119986/2025/001-23-14002(099)/8/2025-2

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के 60 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-16710/CE-HQ1/CHINIMILL/AGR/2025-26, दिनांक 24.09.2025, पत्रांक-16714/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 24.09.2025, पत्रांक-16716/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2025-26, दिनांक 24.09.2025, पत्रांक-16739/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 24.09.2025, पत्रांक-16762/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 25.09.2025, पत्रांक-16776/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2025-26, दिनांक 25.09.2025, पत्रांक-16836/CE-HQ1/CHINIMILL/AGR/2025-26, दिनांक 26.09.2025, पत्रांक-16846/CE-HQ1/CHINIMILL/SAH/2025-26, दिनांक 26.09.2025, पत्रांक-16878/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 27.09.2025, पत्रांक-17001/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 29.09.2025, पत्रांक-17024/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 29.09.2025, पत्रांक-17025/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 29.09.2025, पत्रांक-17039/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 30.09.2025, पत्रांक-17065/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 30.09.2025, पत्रांक-17095/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2025-26, दिनांक 30.09.2025, पत्रांक-17104/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 30.09.2025 एवं पत्रांक-17106/CE-HQ1/CHINIMILL/GON/2025-26, दिनांक 30.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 1139.16 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ उनतालीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा.ख. मथुरा	बरसाना देहात से श्रीनगर मार्ग।	47.91	14.22	33.69	3.25	30.44	0.20	20.00
2	नि.ख.-3 खीरी	रकेहटी से बजरंगगढ़ सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	62.49 56.97	17.31	39.66	4.23	35.43	0.62	25.81
3	नि.ख.-3 खीरी	त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा प्रथम भाग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	28.30 25.80	1.44	24.36	1.92	22.44	0.28	2.41
4	नि.ख.-3 खीरी	रकेहटी बजरंगगढ़ मार्ग से झोलहूपुरवा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	41.46	4.71	36.75	2.81	33.94	0.41	23.90
5	नि.ख.-3 खीरी	गुलरीपुरवा सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग के पुर्ननिर्माण का कार्य।	22.89 20.83	2.31	18.52	1.55	16.97	0.23	1.83
6	नि.ख.-3 खीरी	रकेहटी कोल्हापुर संपर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	76.34 72.70	20.18	52.52	3.03	49.49	0.76	32.50
7	प्रा.ख. रामपुर	स्वालेपुर से वेदपुर मार्ग के पुनःनिर्माण का कार्य।	77.45	8.51	68.94	4.36	64.58	7.77	37.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	नि.ख.-1 बहराइच	सुल्तानामाफी से कोरिनपुर सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग	52.01	0.20	51.81	3.10	48.71	36.20	12.51
9	नि.ख.-1 बहराइच	विशेशरगंज पुरैना मार्ग से गुरूचाही द्वितीय भाग	45.33	0.04	45.29	2.99	42.30	13.97	28.33
10	नि.ख.-1 बहराइच	बहराइचहुजूरपुर मार्ग पर नटवीरबाबा के स्थान से पूरेछेदा प्रथम भाग सम्पर्क मार्ग केकिमी0 1 एवं 2 (200) के पुर्ननिर्माण का कार्य।	45.79	0.03	45.76	3.10	42.66	0.54	15.00
11	नि.ख.-1 बहराइच	पयागपुरहुजूरपुर मार्ग से गुजरा घाट तक सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 (800) के पुर्ननिर्माणका कार्य।	52.67	0.18	52.49	2.63	49.86	0.63	16.00
12	नि.ख.-1 खीरी	तमौलीपुरवा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	30.94	3.56	27.38	0.76	26.62	20.31	3.98
13	नि.ख.-1 खीरी	लखीमपुर पी0डब्लू0डी0 रोड से बहैड़ का पुनर्निर्माण का कार्य।	77.93 69.51	15.60	53.91	5.28	48.63	25.78	20.57
14	नि.ख.-1 खीरी	ग्राम सभा समर्दाहरी से गोपालापुर से खमरिया से मोहम्मदपुर रोड तक मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	41.02 39.97	5.94	34.03	2.77	31.26	0.41	11.21
15	नि.ख. सहारनपुर	शेरपुर आजम से किशनपुर की ओर मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	33.17 30.21	5.54	24.67	2.24	22.43	19.34	2.78
16	प्रा.ख. शामली	बहावडी से खरड वाया लांक मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	15.60	1.25	14.35	1.06	13.29	0.23	11.75
17	प्रा.ख. शामली	कसेरवा खुर्द गोगवान मार्ग से गाजीपुर मार्ग तक मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	15.61	2.15	13.46	1.06	12.40	0.23	10.95
18	प्रा.ख. शामली	हरड मुख्य माग्र से सोन्टा रसूलपुर मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	13.68	8.48	5.20	0.93	4.27	0.23	3.60
19	प्रा.ख. शामली	उस्मानपुर से मादलपुर मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	31.50 23.60	2.66	20.94	2.13	18.81	0.47	16.51
20	प्रा.ख. शामली	ग्राम मन्ना माजरा में ग्राम के बाहर मार्ग पर पुन निर्माण कार्य कंक्रीट रोड मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	37.37	11.38	25.99	0.88	25.11	0.56	21.69
21	प्रा.ख. मथुरा	रनवारी से उमराया मार्ग बढो0	22.67	2.89	19.78	1.53	18.25	0.09	12.89
22	प्रा.ख. मथुरा	छाता गोर्वधनपुर मार्ग से खानपुर मार्ग	47.51	13.64	33.87	3.22	30.65	0.20	19.42
23	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली (पशु चिकित्सालय) से शिकारपुर मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य। (202500003100509)	112.67 104.31	34.73	69.58	7.80	61.78	31.42	12.71
24	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	सिसौली से शिकारपुर (आलमपुर) मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य।	47.44 31.74	22.55	9.19	3.21	5.98	3.21	2.49
25	प्रा.ख. बहराइच	नंदवल जैतापुर मार्ग से नत्थूपुरवा	49.96	0.05	49.91	3.38	46.53	34.97	11.56
26	प्रा.ख. बहराइच	संगवा-समदा सम्पर्क मार्ग	56.69	0.06	56.63	3.24	53.39	39.64	13.75
27	प्रा.ख. बहराइच	नैनिहा.चकैयामार्ग से पृथ्वीपुरवा, चमारनपुरवा सं0मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	32.84	0.03	32.81	1.07	31.74	0.40	22.56
28	नि.ख.-1 गोण्डा	चन्दापुर से बाबा माफी पन्टेट रोड से मेड़िया मेठिया पाठशाला होते हुए मैहगू मनिहार खडन्जा तक सम्पर्क मार्ग	32.99	0.02	32.97	2.23	30.74	0.40	22.67
29	नि.ख.-1 गोण्डा	धर्मापुर तिराहा से चन्दाsपुर कोट सम्पर्क मार्ग	21.30	0.03	21.27	1.44	19.83	0.26	14.62
30	प्रा.ख. गोण्डा	सुमेरपुर पेंटेड रोड से नथई वनकट होते हुए ककरघटा सीताराम के घर तक	66.71	0.35	66.36	4.52	61.84	20.52	41.32
31	नि.ख.-4 सीतापुर	भगवन्तपुर धौरेमऊ मार्ग	47.47	6.38	41.09	3.21	37.88	33.23	4.65
32	नि.ख.-4 सीतापुर	शाहपुर दलावल रिखौना से हरिहरपुर सोनारी हैदरपुर नहर पुलिया तक	39.59	9.23	30.36	2.68	27.68	27.30	0.38
33	नि.ख.-3 खीरी	लालपुर मंडप रोड के पुर्ननिर्माण का कार्य।	95.52 87.89	33.11	54.78	5.54	49.24	25.10	21.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

34	नि.ख.-3 खीरी	चैधरीपुरवा नकटहा मार्ग से नहर पुलिया तक के पुर्ननिर्माण का कार्य।	46.96 42.85	12.54	30.31	3.18	27.13	13.80	12.00
35	नि.ख.-1 बहराइच	पयागपुर हुजूरपुर मार्ग से सहेली ग्राम सम्पर्क मार्ग	56.88	0.45	56.43	3.85	52.58	39.36	13.22
36	नि.ख.-1 बहराइच	पयागपुर हुजूरपुर मार्ग से जलालपुरवा चाईपुरवा	52.57	0.42	52.15	3.56	48.59	36.37	12.22
37	नि.ख. बलरामपुर	बलरामपुर उतरौला मार्ग पर गनवरिया रोड होते हुए बीरबलडीह मझारी मार्ग	53.60	0.06	53.54	3.59	49.95	16.50	30.11
38	नि.ख. बलरामपुर	गगापुर शेखरपुर मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	70.29	0.06	70.23	4.76	65.47	0.77	58.23
39	प्रा.ख. खीरी	महोलिया से लौकीखेड़ा वाया देवलरिया सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	60.81 56.80	10.59	46.21	4.12	42.09	0.10	31.87
40	प्रा.ख. खीरी	सोनौआ से नगरा तक सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	66.83 62.59	11.36	51.23	4.52	46.71	0.10	35.32
41	प्रा.ख. खीरी	सरौलिया से छोलाबारी नहर पुल सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	59.86 55.85	10.33	45.52	4.05	41.47	0.10	31.47
42	प्रा.ख. खीरी	सरौनिया से बीरमपुर सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	60.50 56.38	10.29	46.09	4.09	42.00	0.10	31.96
43	प्रा.ख. खीरी	बहिरवा से पिपरौला सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य	54.16 50.66	8.29	42.37	1.27	41.10	0.10	29.52
44	नि.ख.-3 खीरी	रानीनगर रोड के पुर्ननिर्माण का कार्य।	67.93 61.78	14.34	47.44	4.60	42.84	0.68	30.00
45	प्रा.ख. सीतापुर	प्रधानमन्त्री पिपरा मार्ग से नकेला सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	35.44	0.03	35.41	2.40	33.01	24.77	8.24
46	प्रा.ख. मुरादाबाद	पाकबाड़ा अमरोहा रोड से गुरेठा तक	82.69	18.59	64.10	4.41	59.69	48.02	11.67
47	नि.ख.-1 हरदोई	भिठारी से ककेडी उल्लामउ मार्ग (द्वितीय भाग)	87.01	1.19	85.82	5.89	79.93	63.35	13.77
48	नि.ख. बलरामपुर	बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग पर कठोरा से रतोहा मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	48.34	5.32	43.02	1.89	41.13	0.58	40.29
49	नि.ख.-1 गोण्डा	कठुआ चौरी से सुकलन चौरी तक सम्पर्क मार्ग	16.85	0.06	16.79	1.14	15.65	0.21	11.53
50	नि.ख.-1 गोण्डा	भटवलिया सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग	24.92	0.10	24.82	1.69	23.13	0.29	17.05
51	नि.ख.-1 गोण्डा	ठाकुरपुरवा से नहर पुलिया सम्पर्क मार्ग	8.40	0.03	8.37	0.58	7.79	0.11	6.91
52	नि.ख.-1 गोण्डा	मीरनगंज बहादीपुर से रूपईडीह सम्पर्क मार्ग	15.16	0.06	15.10	1.03	14.07	0.19	12.49
53	नि.ख.-1 गोण्डा	मांझा तरहर से कलन्दरपुर सम्पर्क मार्ग	7.17	0.03	7.14	0.49	6.65	0.09	5.90
54	नि.ख.-1 गोण्डा	सुखदेव काली स्थान से हरदयालपुरवा सम्पर्क मार्ग	26.97	0.10	26.87	1.83	25.04	0.33	22.24
55	नि.ख.-1 गोण्डा	जमुनिया बाग घरवाह जोत से नन्दामाता स्थान तक सम्पर्क मार्ग	9.15	0.03	9.12	0.62	8.50	0.12	7.54
56	नि.ख.-1 गोण्डा	पिपरा पदुम सरैया मार्ग से कृपापुरवा होते हुए अवधरायपुरवा तक सम्पर्क मार्ग	20.08	0.07	20.01	1.36	18.65	0.24	16.57
57	नि.ख.-1 गोण्डा	छाछापारा मुतवल्ली पेटेंड रोड से छाछापारा कानूनगो तक सम्पर्क मार्ग	20.76	0.08	20.68	1.40	19.28	0.25	17.13
58	नि.ख.-1 गोण्डा	गोण्डाफैजाबाद मार्ग से दौलतपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	15.54	0.06	15.48	1.05	14.43	0.18	12.83
59	प्रा.ख. गोण्डा	बसालतपुरसे नौरंग सिंह सम्पर्क मार्ग संशोधित पुनर्निर्माण का कार्य	69.36	0.16	69.20	4.70	64.50	0.34	57.74
60	प्रा.ख. गोण्डा	बसालतपुरनौरंग सिंह सम्पर्क मार्ग संशोधित पुनर्निर्माण का कार्य	49.62	0.10	49.52	3.36	46.16	0.25	41.32
			योग						1139.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,39,16,000 (रुपये ग्यारह करोड़ उनतालीस लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण /पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।